कम्प्यूटर परिपत्र संख्याः 0809006

पत्र संख्या–वैट अनुभाग–परिपत्र–अ0क0नि0–रूपपत्र जांच/ **65** /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वैट अनुभाग)

दिनांकः:::लखनऊः:::अप्रैल **23** , 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 1.1.2008 से वैट लागू होने के बाद जनवरी, फरवरी व मार्च 2008 में की गयी खरीद बिक्री के संबंध में रूपपत्र 24, 24(ए) व 24(बी) दाखिल हो चुके हैं । मुख्यालय स्तर से खण्डों के अधिकार क्षेत्र के पुर्नविभाजन करते हुए दि0 1.4.2008 से नए अधिकार क्षेत्र प्रभावी कर दिये गये हैं और साथ ही साथ सभी खण्डों के कार्यालय कोड आवंटित करते हुए अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र भी तय कर दिये गये हैं । कार्य एवं दायित्वों के संबंध में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के बारे में भी विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये हैं जिसके अनुसार खण्ड के 100 बड़े व्यापारियों का करनिर्धारण संबंधी कार्य डिप्टी कमिश्नर, शेष में से 400 बड़े व्यापारियों का करनिर्धारण संबंधी कार्य असिस्टेन्ट कमिश्नर तथा समस्त शेष सभी व्यापारियों के करनिर्धारण संबंधी कार्य वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

जिन व्यापारियों का विक्रय धन रूपए 01 करोड़ से अधिक होता है उन्हें मासिक रूप से कर व रूपपत्र दाखिल करना होता है । रूपए 25 लाख से 01 करोड़ के बीच विक्रय धन वाले व्यापारियों को मासिक कर एवं 25 लाख रूपए तक विक्रय धन वाले व्यापारियों को त्रैमासिक रूपपत्र व कर जमा करना होता है । इसके अलावा जो व्यापारी धारा–6 के अंतर्गत ट्रेडर्स के लिए जारी की गयी समाधान योजना का विकल्प दिये हैं उन्हें भी त्रैमासिक रूप से कर व रूपपत्र जमा करना है ।

वर्ष 07–08 का अंतिम त्रैमास समाप्त हो चुका है और सभी पंजीकृत व्यापारियों को नक्शा दिनांक 20.4.2008 तक दाखिल करना है । इसलिए यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यापारी नक्शा नहीं जमा किये हैं उनके विरूद्ध अस्थायी कर निर्धारण व अर्थदण्ड की कार्यवाही नियमानुसार की जाए ।

प्रत्येक खण्ड में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के व्यापारियों की अलग अलग सूचियां बनाकर आर–5 में इन्द्राज कर लिया जाए ।

जिन व्यापारियों ने नक्शा नहीं दाखिल किया है उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए धारा–25 के अंतर्गत करनिर्धारण हेतु नोटिस जारी की जाए । नोटिस का प्रारूप संलग्न है ।

जिन व्यापारियों के नक्शे दाखिल हो चुके हैं उनकी भी जांच इस उद्देश्य से की जानी है कि दाखिल किये गये रूपपत्र में दर्शायी गई आई0टी0सी0 की धनराशि, क्रय/विक्रय की धनराशि उपलब्ध अभिलेखों के अनुरूप है या नहीं । यदि यह पाया जाता है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार रूपपत्र में घोषित क्रय/विक्रय धन सही नहीं है अथवा आई0टी0सी0 की धनराशि की गणना ठीक से नहीं की गयी है अथवा कर नहीं जमा किया गया है तो ऐसे मामलों में भी अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी ।

रूपपत्रों की जांच करने हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शक निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं :–

अ– दिनांक 1.1.2008 से जो स्टॉक व्यापारी के पास उपलब्ध था उसको घोषित किया गया है अथवा नहीं परन्तु उसकी बिक्री पर व्यापारी को कर जमा करना था । अतः इसकी जांच की जानी है कि सामान्य दशा में व्यापारी कितना स्टॉक रखते थे और कितनी बिक्री दिखाते थे उसके अनुसार बिक्री दिखायी जा रही है अथवा नहीं ।

ब– दाखिल रूपपत्रों के अनुलग्नक–ए में व्यापारी के द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गये वैटेबुल गुड्स की सूची तथा पंजीकृत व्यापारियों को की गयी वैटेबुल गुड्स की बिक्री की सूची अनुलग्नक–बी में दाखिल की जाती है । दोनों अनुलग्नकों में वस्तु का नाम भी अंकित होता है । प्रत्येक व्यापारी के व्यापार की प्रकृति को देखते हुए सूची की जांच इस उद्देश्य से की जाए कि सूची में दर्शित खरीद में किन किन वस्तुओं पर आई0टी0सी0 व्यापारी को देय है और किन किन वस्तुओं की खरीद पर आई0टी0सी0 का दावा किया गया है । ऐसी वस्तुओं की खरीद जहां पर आई0टी0सी0 देय नहीं है और उन पर दावा किया गया है तो ऐसे मामलों में भी अस्थायी करनिर्धारण की कार्यवाही की जायेगी ।

स– यूपीवैट अधिनियम के अंतर्गत माल की पुर्नबिक्री करने पर अथवा मैन्यूफैक्चिरिंग/पैकिंग में प्रयोग के लिए माल की खरीद की जाती है तो ऐसी खरीद पर आई0टी0सी0 का दावा किया जाएगा बशर्ते पुर्नबिक्री या ऐसी निर्मित/पैक की हुयी वस्तु की बिक्री प्रान्त भीतर या अर्न्तप्रान्तीय बिक्री या निर्यात के दौरान की गयी बिक्री हो तो शत प्रतिशत आई0टी0सी0 देय है तथा स्टॉक ट्रान्सफर करने पर सी फार्म से बिक्री करने पर कर की जो दर लागू होगी उससे अधिक दर से अधिक दिये गये कर के बराबर आई0टी0सी0 देय होगा । इसलिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त प्रकार के संव्यवहारों में यह जांच अवश्य की जाए कि जिन पर आई0टी0सी0 का दावा किया गया है उनका निस्तारण उपरोक्त रीति से हो रहा है या नहीं और यदि पाया जाता है कि माल का निस्तारण अन्यथा किया जा रहा है तो ऐसे मामलों में भी अस्थायी करनिर्धारण की कार्यवाही की जाएगी ।

द– संवेदनशील वस्तुओं की खरीद बिक्री करने वाले व्यापारियों के संबंध में रूपपत्रों की कम्प्यूटर में फीडिंग सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी । प्रत्येक खण्ड के समस्त करनिर्धारण अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के ऐसे व्यापारियों की सूची अलग से रखेंगे और उनके रूपपत्रों का सूक्ष्म परीक्षण करके यह देखेंगे कि क्या किसी एक व्यापारी अथवा किसी एक क्षेत्र विशेष के व्यापारियों से अधिक खरीद दिखायी जा रही है अथवा ऐसे क्षेत्र से खरीद दिखाई जा रही है जहां उस वस्तु का व्यवसाय सामान्यतः नहीं होता है अथवा ऐसे क्षेत्र में बिक्री दिखायी जा रही है जहां पर सामान्यतः उस वस्तु की खपत नहीं होती है अथवा नगद खरीद/बिक्री अधिक दिखायी जा रही है । यह भी देखा जाए कि जो खरीद बिक्री की दरें दिखाई जा रही हैं वह बाजार भाव के अनुरूप हैं अथवा नहीं । ऐसा तो नहीं कुछ व्यापारी एक दूसरे को केवल बिल का आदान प्रदान कर रहे हैं और माल की खपत अन्यत्र कहीं हो रही है ।

य– यह भी सुनिश्चित करना है कि जो खरीद व्यापारी द्वारा दिखायी जा रही उससे संबंधित विक्रेता व्यापारी पंजीकृत हैं अथवा नहीं । इसके लिए आवश्यक है कि संवेदनशील वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों की सभी खरीद बिक्री का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए तथा संबंधित ऐसे व्यापारियों की सूची कम्प्यूटर पर फीडिंग के पश्चात फिल्टर कर लिया जाए और यथा संभव ई–मेल से संबंधित क्षेत्र के ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को भेजी जाए और अनुरोध किया जाए कि सूचनाओं का सत्यापन कर एक सप्ताह में करके उसके परिणाम से करनिर्धारण अधिकारी को सूचना उपलब्ध करायी जाए । सत्यापन न होने/प्रतिकूल तथ्य पाये जने पर अस्थायी कर निर्धारण अथवा अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाए ।

र– संवेदनशील वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों के जिन मामलों में प्रथमदृष्टया करापवंचन का तथ्य प्रकाश में आता है ऐसे मामलों में करनिर्धारण अधिकारी तुरंत ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को सूचना प्रेषित करेंगे और ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) यथा संभव एक सप्ताह में जांच करके परिणाम के बारे में स्वयं द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट करनिर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे और यदि यह पाया जाता है कि व्यापारी का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक है तो ऐसे कारणों का उल्लेख रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से किया जाए और यह रिपोर्ट प्राप्त होते ही करनिर्धारण अधिकारी निलंबन के संबंध में कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यापारी का पंजीयन निलंबित करने का आदेश 24 घंटे में पारित करेंगे और इसकी सूचना ई–मेल से सभी ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)/(कार्यपालक) और एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को देंगे और इसकी एक प्रति जनसामान्य की जानकारी हेतु नोटिस बोर्ड में चस्पा करायेगे । ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/ (वि0अनु0शा0) का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उनके अधीन कार्यरत करनिर्धारण अधिकारी / वि0अनु0शा0/सचल दल/चेक पोस्ट के अधिकारियों को पंजीयन निलंबन संबंधी सूचना 24 घंटे में उपलब्ध हो जाए, जिससे हो रहे करापवंचन पर रोक लगे तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) ऐसे मामलों की सूचना मुख्यालय के विधि अनुभाग को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करायेंगे जिससे इसका प्रसारण सम्पूर्ण प्रदेश में किया जा सके तथा इसे वेबसाईट पर भी डलवाया जा सके ।

ल– वैट कार्यप्रणाली में करापवंचन का एक तरीका यह भी हो सकता है कि व्यापारी खरीद अधिक दिखाते हैं और बिक्री कम दिखाते हैं जिससे उन्हें शुद्ध कर नहीं देना होता और माल को स्टॉक में दिखाया जाता है । ऐसे व्यापारियों को भी चिन्हित किया जाए जो लगातार कई माहों तक इस प्रकार का संव्यवहार दिखा रहे है तो उसकी सूचना विशेष जांच करने के लिए संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को प्रेषित की जाए और वे ऐसे प्रकरणों की जांच करते हुए उपरोक्त प्रस्तर–र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

व– ऐसे ट्रेडर्स जो अधिक दर जैसे 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य वस्तुओं का व्यापार करते हैं, कम दर से करयोग्य वस्तु जेसे 4 प्रतिशत, का भी व्यवसाय शुरू कर देते हैं वह खरीद 12.5 प्रतिशत की दर से अधिक दिखाते हैं और बिक्री 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य अधिक दिखाते हैं। रूपपत्र के साथ जो अनुलग्नक दाखिल करते हैं उनमें वस्तु का उल्लेख सही नहीं करते हैं या वो कॉलम छोड़ देते हैं । ऐसे मामलों में जहां पर अनुलग्नक ठीक से नहीं भरे गये हैं, वस्तु का नाम नहीं दिखाया गया है, मात्रा अंकित नहीं की गयी है, विशेष जांच करना आवश्यक है । इनमें भी उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

ह– सचल दल अधिकारियों द्वारा जांच करते समय बिलों का संकलन किया जाएगा और उसे संबंधित करनिर्धारण अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा । करनिर्धारण अधिकारियों का दायित्व होगा कि इस प्रकार के समस्त बिलों का सत्यापन रूपपत्र के साथ दाखिल की गयी सूची से नियमित रूप से करते रहें और प्रतिकूल पाये जाने पर अस्थायी करनिर्धारण की कार्यवाही की जाएगी । सहायता केन्द्र, सचल दल व वि0अनु0शा0 इकाईयों से जो बिल संकलित कर खण्डों में प्राप्त होते हैं उनका शत प्रतिशत मिलान कर लिया जाए । इस कार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित खण्डाधिकारी की होगी और यदि कोई खातापालक इस कार्य को करने में शिथिलता बरतता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही कराने की जिम्मेदारी भी संबंधित खण्डाधिकारी की होगी ।

स– कैपिटल गुड्स के संबंध में वैट अधिनियम की धारा–2(एफ) में दिये गये प्राविधानों अध्ययन कर लिया जाए और देखा जाए कि कैपिटल गुड्स के संबंध में प्रतिबंधित वस्तुओं का लाभ व्यापारी को न मिले ।

ष– जो रूपपत्र दाखिल किये जा रहे हैं उसमें खरीद के कॉलम नहीं भरे जा रहे हैं जिससे इस बात का आंकलन नहीं हो पा रहा है कि अपंजीकृत से कितनी खरीद की गयी है । अतः इस बिन्दु पर भी जांच आवश्यक है और अपंजीकृत से की गयी खरीद पर नियमानुसार कर जमा कराया जाए ।

च– जिन व्यापारियों द्वारा दि0 1.1.08 को स्टॉक शून्य घोषित किया गया है उनके संबंध में विशेष प्रकार से जांच करायी जाए क्योंकि सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि व्यापारी का स्टॉक शून्य हो जाए ।

छ– जिन व्यापारियों द्वारा स्टॉक ट्रान्सफर दिखाया जा रहा है उनके संबंध में रिवर्स इनपुट टैक्स की गणना कर ली जाए और यदि दावा गलत पाया जाता है तो अस्थाई करनिर्धारण तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही करायी जाए ।

ज– जो व्यापारी फर्म बन्द कर देते हैं और उनके पास अवशेष स्टॉक पर आई0टी0सी0 के दावे की धनराशि को रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट कराते हुए धनराशि जमा करायी जानी होती है । ऐसी फर्मों पर विशेष निगाह रखनी पड़ेगी जो फर्म बन्द करने की सूचना देते हैं अथवा जांच करने पर फर्म बन्द पायी जाती है । ऐसे मामलों में विस्तृत जांच करके दिखाये जा रहे स्टॉक पर नियमानुसार इनपुट टैक्स की धनराशि की गणना करके उसे जमा कराया जाए ।

झ– जहां पर खरीदे गये माल की वापसी अथवा बिके हुए माल की वापसी दिखायी जा रही है वहां पर डेबिट/क्रेडिट नोट की जांच कर रिवर्स इनपुट टैक्स की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करायी जाए ।

प– जिन मामलों में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम या अन्य कोई स्कीम चला कर बिना किसी मूल्य के वस्तुओं को वितरित किया जा रहा है वहां भी रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना की जाए ।

फ– जिन मामलों में व्यापारी अपंजीकृत से खरीद करते हैं उन्हें आई0टी0सी0 का लाभ तभी मिलेगा जब खरीद पर क्रय कर जमा कर दिया जाए अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि धारा–5 के अंतर्गत देय क्रय कर जमा हो गया है और इस संबंध में धारा–15 के प्राविधानों तथा मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

भ– निर्यातक व्यापारियों के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं जिनका पूर्ण अध्ययन कर लिया जाए और इस बात की जांच की जाती रहे कि वास्तव में निर्यात हो रहा है और यदि अस्थायी रिफण्ड की धनराशि अधिक पायी जाती है तो इनपुट टैक्स रिवर्स करके उसे जमा कराया जाए ।

म– जिन मामलों में आयात घोषणा पत्र अथवा बिल पर अवमूल्यन की टिप्पणी प्राप्त हुई है ऐसे मामलों में रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अस्थाई कर निर्धारण अथवा अर्थदण्ड आदेश पारित किये जायें ।

ट– जिन मामलों में विशेष अनुसंधान शाखा, चेक पोस्ट या सचल दल से करापंवचन के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो उन मामलों में अस्थायी कर निर्धारण/अर्थदण्ड की कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन में पूरी की जाए । इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी समय सीमा को इस अंश तक संशोधित किया जाता है ।

ठ– धारा–25(2) के अंतर्गत अस्थायी कर निर्धारण की समय सीमा वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अवधि के बाद न करने का प्रतिबन्ध है जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के किसी टैक्स पीरियड का अस्थायी करनिर्धारण 31 अक्टूबर तक या यदि करनिर्धारण अधिकारी द्वारा वार्षिक रूपपत्र दाखिल करने हेतु समय बढ़ाया है तो बढ़ाई गयी अवधि तक यदि व्यापारी द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं करता है तो अस्थायी करनिर्धारण किया जा सकता है।

यहां स्पष्ट किया जाता है कि करनिर्धारण अधिकारी अस्थायी करनिर्धारण आदेश पारित करके उस आदेश की समय से तामीली करना, निकाले गये बकाया की वसूली करना, अर्थदण्ड की कार्यवाही करना उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी केवल अर्थदण्ड या अस्थायी करनिर्धारण आदेश पारित करके ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री न समझी जाए ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस परिपत्र की पर्याप्त प्रतियां कराकर समस्त करनिर्धारण अधिकारियों व कर्मचारियों को उपलब्ध का दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें। उपरोक्त कार्य का परीक्षण करने हेतु मुख्यालय स्तर के अधिकारियों को भेजकर के खण्डों का निरीक्षण करवाया जायेगा और जहां पर शिथिलता पायी गयी या किसी स्तर पर लापरवाही पायी जाती है तो अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक - उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियो में)।
4. अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
5. एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) / (कॉरपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक/सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
9. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
10. प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
11. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
12. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।
13. विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन, सेक्टर-10, नोयडा।
14. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
15. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0 (उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, लखनऊ / इलाहाबाद।
16. मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉ।
17. वैट अनुभाग को 100 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियॉ।
18. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

19. समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर (अनुभाग अधिकारी) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
20. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185/293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ ।
21. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ ।
22. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
23. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुॅज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
24. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ ।
25. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर ।
26. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 2/210, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
27. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ ।
28. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0, ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
29. आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
30. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
31. राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
32. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
33. शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर ।
34. श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर
35. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
36. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
37. डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
38. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0, 235, सीताराम, आजमगढ़ ।
39. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुॅज गली, चौक, वाराणसी ।
40. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
41. श्री पी0एस0जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोयडा ।
42. श्री ब्रित चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर ।
43. श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
44. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद ।
45. श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
46. इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
47. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
48. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।
49. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0, 51-बी, उद्योग नगर, कानपुर ।
50. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
51. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर ।
52. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ ।
53. श्री हुलास राय सिॅघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।

54. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल, (पँजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ।
55. माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
56. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
57. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।
58. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन नं0 2720097।
59. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
60. श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट ,हाथरस।
61. श्री मनीष शर्मा, लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हजाउस, आर-15/5, राजनगर, गाजियाबाद।
62. श्रीमती इन्दू मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन्स, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी,
खण्ड.....,
वाणिज्य कर, ...
दिनांकः.....

करनिर्धारण वर्ष .....
सर्वश्री.....
.....
.....

धारा–25(1) के अंतर्गत नोटिस

आपके द्वारा दिनांक.....को अन्त होने वाले टैक्स पीरियड का दाखिल रूपपत्र संख्या 24/24(ए)/24(बी) की जांच करने पर निम्न त्रुटियां/अनियमितता पायी गयी :–

1. रूपपत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित समयावधि के बाद दाखिल किया गया है ।
2. रूपपत्र में घोषित खरीद बिक्री पर शुद्ध देय कर जमा नहीं किया गया है ।
3. दाखिल रूपपत्र में प्रदर्शित खरीद/बिक्री पर देय कर की संगणना दोषपूर्ण है ।
4. दाखिल रूपपत्र में प्रदर्शित देय कर की धनराशि गलत है ।
5. दाखिल रूपपत्र में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा गलत है ।
6. पत्रावली पर निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध हैं :–
   - क. .....
   - ख. .....
   - ग. .....

उपरोक्त अभिलेख में पाये गये तथ्यों के आधार पर यह विश्वास करने का प्रथमदृष्टया कारण बनता है कि आपके द्वारा रूपपत्र में खरीद/बिक्री का या दोनों का घोषित विक्रय धन विश्वसनीय नहीं है ।

अतः आप दिनांक..... को .....बजे मेरे कार्यालय कक्ष में व्यापार की सामान्य दशा में रखे जाने वाली लेखा बहियों के साथ उपस्थित होकर कारण बतायें कि रूपपत्रों में घोषित आंकड़ों को अस्वीकार करके विवेकानुसार क्रय/विक्रय धन निर्धारित क्यों न कर दिया जाए ?

आपको सचेत किया जाता है कि निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित न होने पर पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर/दिनांक
करनिर्धारण अधिकारी का नाम/पदनाम